भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2539

जिसका उत्तर सोमवार, 17 मार्च, 2025/26 फाल्गुन, 1946 (शक) को दिया गया

एकीकृत पेंशन योजना के विरुद्ध अभ्यावेदन

2539. श्री हनुमान बेनीवाल:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को एकीकृत पेंशन योजना के विरुद्ध अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा उक्त पेंशन योजना में क्या कमियां देखी गई हैं, जिससे कर्मचारियों में असंतोष उत्पन्न हो रहा है;

(ग) एकीकृत पेंशन योजना तथा पुरानी पेंशन योजना के बीच अंतर संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का कर्मचारियों के हित में पुरानी पेंशन योजना को पुन: लागू करने का विचार है; और

(ड.) यदि हां, तो इसे कब तक लागू किए जाने की संभावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) और (ख): एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को एनपीएस के अंतर्गत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद सुनिश्चित मासिक भुगतान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के विकल्प के रूप में सरकार द्वारा दिनांक 24.1.2025 को अधिसूचित किया गया है। यूपीएस की परिकल्पना राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद सुनिश्चित पेंशन की मांग को पूरा करने के लिए की गई है, साथ ही वित्तीय रूप से जिम्मेदार वित्त पोषित और अंशदायी पेंशन योजना सुनिश्चित करने के लिए भी की गई है।

(ग): पुरानी पेंशन योजना निर्धारित लाभ वाली गैर-अंशदायी योजना है, जो पूरी तरह से सरकार द्वारा वित्त पोषित है। यह उन केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों पर लागू होती है जिनकी दिनांक 1.1.2004 से पहले सेवा में नियुक्ति हुई है जबकि यूपीएस निर्धारित लाभ के घटक वाली निर्धारित अंश दायी योजना हैं। यह कर्मचारियों को सुनिश्चित भुगतान के लिए लागू अंशदान (कर्मचारी और नियोक्ता दोनों से) के नियमित और समय पर संचय और निवेश पर निर्भर करती है।

(घ) और (ङ): ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

*****